फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

बेगराज बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्याः– 331 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6 .12.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी बेगराज पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी का सही नाम बेगराज पुत्र उदाराम है व प्रार्थी के नाम से चक 1 आरएम के पत्थर संख्या 100/308 में कुल 1.180 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा पूर्व में प्रार्थी के पिता उदाराम के नाम से अंकित था। उनके फौत होने के उपरान्त उक्त रकबा प्रार्थी व प्रार्थी के भाई–बहिनों के नाम से विरास्तन, दस्तबरदारी तथा विभाजन उपरान्त दर्ज हुआ है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम बेगराज दर्ज था। परन्तु शुद्धि पत्र संख्या 05 दिनांक 10.09.2015 से प्रार्थी का नाम बेगाराम दर्ज कर दिया गया है, जो कि शुद्धि योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम दुरस्त किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ ने पत्रांक एलआर/2194 दिनांक 20.09.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 में बेगराम वल्द उदाराम था, जिसे शुद्धि पत्र संख्या 05 दिनांक 10.09.2015 से बेगराज की जगह बेगाराम पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला किया गया। जिसे बेगराज किया जाना उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। चक 1 आरएम की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 21/50 में प्रार्थी का नाम बेगराम वल्द उदाराम जाति ब्राह्मण साकिन रामपुरा न्यौला अंकित है। जिसके पश्चात् शुद्धि पत्र संख्या 05 दिनांक 10.09.2015 से बेगराज के स्थान पर बेगाराम दर्ज किया गया है। जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाकर बेगराज अंकित करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 1 आर0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 27/21 के पत्थर संख्या 100/308 (7) की कुल 1.180 हैक्टर कमाण्ड मय खाला में काश्तकार का नाम "बेगाराम" के स्थान पर बेगराज करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2024.12.19 13:06:51 IST

Reason: SelfAttested